# राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?**
**उत्तर:** निम्नलिखित लक्षित समूह योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) अनुसूचित जाति
(ii) विमुक्त जनजाति
(iii) पारंपरिक कारीगर
(iv) भूमिहीन कृषि मजदूर

**पात्रता मानदंड क्या है?**
**उत्तर:** (i) प्रत्येक चयन वर्ष की पहली अप्रैल को आयु 35 वर्ष से कम हो।
(ii) पारिवारिक आय 8,00,000/- रुपये (प्रति वर्ष आठ लाख रुपये) से कम हो।

**कितने स्लॉट उपलब्ध हैं?**
**उत्तर:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 स्लॉट उपलब्ध हैं।

**क्या छात्रवृत्ति स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है?**
**उत्तर:** नहीं, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल मास्टर और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है।

**आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्या है?**

1. अनुसूचित जातियां – 115
2. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियां – 06
3. भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर – 04

कुल – 125

**अनुसूचित जाति/विमुक्त जनजाति/पारंपरिक कारीगरों के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं?**

**आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?**
**उत्तर:** आवेदक केवल ऑनलाइन पोर्टल http://nosmsje.gov.in/ पर ही आवेदन कर सकते हैं।

**क्या आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है?**
**उत्तर:** जी नहीं

**फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?**
**उत्तर:** आवेदक http://nosmsje.gov.in/ पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म दस्तावेज़ों को भरने का तरीका देख सकते हैं। विस्तृत दस्तावेज़ों में फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों और अन्य विवरणों के बारे में बताया गया है।

**छात्रवृत्ति की अवधि क्या है?**
**उत्तर:** मास्टर के लिए अधिकतम 3 वर्ष
पीएचडी के लिए अधिकतम 4 वर्ष

**कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?**

**उत्तर**: इस योजना के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

1. ट्यूशन फीस
2. मेन्टनेंस भत्ता (यू.के. को छोड़कर यू.एस. डॉलर 15,400/- वार्षिक। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 9,900/- यू.के. में वार्षिक)
3. आकस्मिकता निधि
4. वीजा शुल्क
5. उपकरण भत्ता
6. केवल ट्यूशन फीस और चिकित्सा बीमा प्रीमियम
7. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकोनॉमी क्लास द्वारा हवाई यात्रा

विस्तृत जानकारी के लिए विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध योजना के नवीनतम दिशानिर्देश देखें।

**सहायता कौन देता है**?

**उत्तर**: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को भारत में किए जाने वाले स्वीकार्य व्यय और विदेश में किए जाने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा इसका वहन किया जाता है। योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए उम्मीदवार के अंतिम चयन के बाद, उम्मीदवार को इस मंत्रालय द्वारा अवार्ड लेटर जारी किया जाता है।

**कोई उम्मीदवार कितने समय के भीतर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है**?

**उत्तर**: छात्रों को विदेश में विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लेने के लिए अनंतिम अवार्ड लेटर (provisional award letter) जारी करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष या दो प्रवेश स्थगन की समयावधि, जो भी पहले हो, दी जा सकती है, अन्यथा छात्रवृत्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगी और इसके बाद इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

**विदेश में प्रवेश कैसे प्राप्त करें**?

**उत्तर**: चयनित उम्मीदवारों को विदेशी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

**प्रवेश मिलने के बाद क्या करना है**?

**उत्तर**: किसी उम्मीदवार को किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की पुष्टि हो जाने के बाद, उसे इस मंत्रालय को सूचित करना होगा, जो विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से इसे सत्यापित कर सकता है। प्रवेश की पुष्टि प्राप्त होने के बाद, यह मंत्रालय संबंधित उम्मीदवार को पुष्टिकृत अवार्ड लेटर (confirmation award letter)' जारी करेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान आदि का विवरण भी उल्लेखित होगा।

**वीज़ा कैसे प्राप्त करें**?

**उत्तर**: विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि होने के बाद, संबंधित उम्मीदवार भारत में उस देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास, मिशन से संपर्क कर सकता है। हालाँकि, उम्मीदवारों को केवल ऐसे प्रकार के वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए जिसके लिए उन्हें विदेश में अपना कोर्स करने के बाद भारत वापस लौटना पड़े। भारत सरकार किसी उम्मीदवार को वीज़ा प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं देती है।

**विदेश में अध्ययन के लिए आगे बढ़ने से पहले क्या औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी**?

**उत्तर**: चयनित उम्मीदवारों को विदेश जाने से पहले ऐसे सभी कानूनी दस्तावेज़ और अन्य एग्रीमेंट प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है। विदेश पहुँचने पर उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा और विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत प्रमाणित जॉइनिंग रिपोर्ट साझा करनी होगी। नौकरीपेशा उम्मीदवारों के मामले में, उन्हें नियोक्ता द्वारा आवश्यक बॉन्ड, एग्रीमेंट आदि भी निष्पादित करने होंगे।